प्रेस विज्ञप्ति

8/03/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) द्वारा चीनी मिलों की अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड के स्वामित्व वाली मेसर्स कन्नड़ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड़ एसएसके) की 50.20 करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में 161.30 एकड़ भूमि, संयंत्र और मशीनरी और औरंगाबाद जिले के कन्नड़ में स्थित चीनी इकाई (सुगर यूनिट) की इमारत शामिल है।

ईडी ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की। उक्त प्राथमिकी माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकः 22.08.2019 के अनुसरण में दर्ज की गई है। उक्त एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि एसएसके को एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना धोखाधड़ी से अपने रिश्तेदारों/निजी व्यक्तियों को औने-पौने दाम पर बेच दिया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स कन्नड़ एसएसके लिमिटेड की 80.56 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज वसूलने के लिए, एमएससीबी ने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत 13.07.2009 को उक्त एसएसके की सभी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। दिनांकः 30.08.2012 को, एमएससीबी ने एक संदिग्ध मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बहुत कम आरक्षित मूल्य तय करके कन्नड़ एसएसके की नीलामी आयोजित की। मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड के अलावा, 2 अन्य पार्टियों ने बोली प्रक्रिया (नीलामी) में हिस्सा लिया। उच्चतम बोली लगाने वाले को तकनीकी रूप से कमजोर आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जबकि दूसरा बोली लगाने वाला पहले से ही मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड का करीबी व्यापारिक सहयोगी था, जिसके पास चीनी इकाई चलाने की कोई वित्तीय क्षमता या अनुभव नहीं था।

पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच और एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर, यह प्रमाणित हो गया है कि मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड द्वारा कन्नड़ एसएसके का अधिग्रहण अवैध था और अर्जित संपत्ति पीएमएलए, 2002 की धारा 2 (आई) (यू) के अनुसार अपराध की आय है। तदनुसार पीएमएलए के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें 50.20 करोड़ रुपये में अर्जित कन्नड़ एसएसके की सभी संपत्तियां कुर्क की गई थीं।

इससे पहले इस मामले में, 03 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं जहां 121.47 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 3 अन्य एसएसके के गलत अधिग्रहण के लिए 01 मुख्य अभियोजन शिकायत और 02 पूरक अभियोजन शिकायतें भी माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई के समक्ष दायर की गई हैं। माननीय न्यायालय ने इस मामले में दायर सभी अभियोजन शिकायतों पर पहले ही संज्ञान ले लिया है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।